सात वाहन भिड़े, हाईवे ठप

मानपुर के भेरूघाट पर दो बड़े हादसे, एक की मौत

- घाट की ढलान बनी हादसों की वजह, सुबह-सुबह मची अफरा तफरी
- ब्रेक फेल ट्रक ने मचाई तबाही, कारों पर चढ़े ट्रक टैंकर, एयरबैग खुलने से टली बड़ी जनहानि
- पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद सुचारु कराया यातायात

नव भारत न्यूज

इंदौर. मानपुर क्षेत्र के भेरूघाट पर शनिवार सुबह एक के बाद एक दो भीषण सड़क हादसों से हड़कंप मच गया. पहले हादसे में तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके कुछ ही देर बाद उसी घाट सेक्शन में ट्रक, गैस टैंकर, कार और पिकअप सहित सात वाहन आपस में टकरा गए. दोनों घटनाओं के चलते मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह बाधित रहा.

सुबह इंदौर की ओर से जा रहे दो युवक बाइक से भेरूघाट से गुजर रहे थे. घाट उतरते समय सामने से तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया और बाइक सवार उसके नीचे दब गए. हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के कारण घाट के दोनों ओर करीब आधे घंटे तक लंबा जाम लगा रहा. पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर मृतक और घायल की पहचान कर रही है. कंटेनर चालक और क्लीनर को भी मामूली चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा है.

इसी दौरान भेरूघाट के दूसरे हिस्से में ढलान पर ब्रेक फेल होने से एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया और आगे चल रहे आयशर वाहन में जा घुसा. इसके बाद आयशर, कार, पिकअप और अन्य वाहन आपस में टकराते चले गए. हादसे में ट्रक और गैस टैंकर कारों पर चढ़ गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई, वहां करीब दो किलोमीटर लंबी ढलान है और दोनों लेन में पहले से जाम लगा हुआ था. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. वाहनों में सवार लोगों ने बताया कि टक्कर के दौरान कारों के एयरबैग खुल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया. कुछ कारों में बच्चे भी सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित बताए हैं. हादसों के बाद मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. मानपुर थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर घंटों की मशक्कत के बाद यातायात सुचारु करवाया. पुलिस दोनों मामलों में अलग अलग जांच कर रही है और जिम्मेदार वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

दूषित पानी से 21वीं मौत, 41 नए मरीज भर्ती

- भागीरथपुरा में हालात गंभीर
- आईसीयू में 11 मरीज, 4 वेंटिलेटर पर
- अपर मुख्य सचिव ने किया मैदानी दौरा

नव भारत न्यूज

इंदौर. भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैले जलजनित संक्रमण ने एक और जान ले ली. शनिवार को एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान 50 वर्षीय महिला सुनीता वर्मा की मौत हो गई. वह 7 जनवरी से भर्ती थी और उपचार के दौरान किडनी डैमेज होने की पुष्टि सामने आई है. इस मौत के साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है. वहीं शनिवार को आईसीयू में 11, वेंटिलेकर पर 4 व अन्य वार्डों में 41 मरीज भर्ती हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है.

वर्तमान में 11 मरीज आईसीयू में इलाजरत हैं. अब तक कुल 420 मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिनमें से 379 मरीजों का उपचार कर उन्हें घर भेजा जा चुका है. जबकि 41 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है. शनिवार को डायरिया के 27 मरीज ओपीडी में आए, जिनमें से 5 को गंभीर स्थिति के चलते रेफर किया. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी ने बताया कि गंभीर मरीजों को एमवाय अस्पताल, अरविंदो अस्पताल और बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है. क्षेत्र में तीन एंबुलेंस तैनात हैं और चिकित्सकों की 24म7 ड्यूटी लगाई है. इधर हालात का जायजा लेने शनिवार को अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और अनुपम राजन भागीरथपुरा पहुंचे।

उनके साथ कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सहित प्रशासन, निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने जल आपूर्ति, स्वच्छता, ड्रेनेज और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सुधार कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र में 'अभियान स्वास्थ्यवर्धन' चलाया जा रहा है. इसके तहत 51 स्वास्थ्य दलों के 204 सदस्यों ने 1018 घरों का सर्वे किया. घर घर जाकर उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों और संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों का फॉलोअप किया. इस दौरान हीमोग्लोबिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच के साथ वजन और ऊंचाई मापी गई. 1018 परिवारों को ओआरएस जिंक किट वितरित की गईं और स्वास्थ्य परामर्श दिया.

पेज एक का शेष

इंजीनियर्स साकार करेंगे विकसित भारत का सपना

विकसित कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क 2026 का विमोचन, लोकपथ मोबाइल ऐप के उन्नत संस्करण – लोकपथ 2.0 का लोकार्पण किया. भगवान श्रीराम के काल में ही नल, नील ने पुल निर्माण की तकनीक खोज ली थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम के काल में नल और नील ने समुद्र पर पुल निर्माण करने की तकनीक खोज ली थी. लंका विजय के बाद भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे. भगवान विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान बनाया, जिसमें सभी को समाहित करने की क्षमता थी. यह सभी को विकास और कल्याण में साथ लेकर चलने के भाव की अभिव्यक्ति थी. वर्तमान में भी सभी की सुविधा और जीवन में सभी को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही निर्माण कार्य जारी हैं. मप्र का लोक निर्माण विभाग नई तकनीक और समय का सदुपयोग करते हुए अधोसंरचना विकास कार्यों को गति प्रदान कर रहा है. भारतीय परंपरा में तकनीक, ज्ञान और नवाचार का समृद्ध इतिहास रहा है. हमारे प्राचीन ग्रंथ और सांस्कृतिक उदाहरण यह सिखाते हैं कि सामूहिक क्षमता, बुद्धि और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं.

प्रदेश संतुलित विकास की ओर अग्रसर : सुखबीर सिंह

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में संतुलित विकास की ओर अग्रसर है. राज्य सरकार द्वारा अभ्युदय मध्यप्रदेश के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में अधोसंरचना विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अटल प्रगति पथ के मामले में अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए तेजी से निर्णय लिया है. विभाग अगले तीन वर्ष के लक्ष्य और विकसित भारत2047 के लिए समय सीमा में गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पश्चिम मध्य रेल को मिली डबल कामयाबी

भोपाल, 10 जनवरी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, द्वारका में आयोजित 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में पश्चिम मध्य रेल को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर पश्चिम मध्य रेल को ओवरऑल दक्षता शील्ड (पंडित गोविन्द बल्लभ पंत) तथा बिक्री प्रबंधन शील्ड प्रदान की गई। ओवरऑल दक्षता शील्ड पश्चिम मध्य रेल की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय एवं अपर महाप्रबंधक प्रमोद कुमार खत्री ने ग्रहण की,

15 से कोर ग्रुप के हवाले महाकाल मंदिर की सुरक्षा

- नई सुरक्षा कंपनी आर्मी से रिटायर्ड को भी दे रही नौकरी
- 1000 में से 1300 को दी ट्रेनिंग, 400 कर्मचारी पुरानी कंपनी से रखें
- अब सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ेगा

नवभारत न्यूज़

उज्जैन. विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में हाल फिलहाल दो सुरक्षा कंपनियां जिम्मेदारी संभाल रही है. महाराष्ट्र की क्रिस्टल कंपनी का जहां ठेका पूरा हो चुका है और दिल्ली की नई कोर ग्रुप कंपनी 1000 सुरक्षा कर्मियों के साथ जहां काम शुरू करेगी. उसके बीच उहापोह का दौर चल रहा है, महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने अभी तक नई कंपनी को वर्क आर्डर जारी नहीं किया है.

नवभारत को मिली जानकारी के अनुसार 15 जनवरी से दिल्ली की कोर सिक्योरिटी कंपनी कामकाज अधिकृत तौर पर जिम्मेदारी संभाल सकती है. मंदिर में अब तक पुरानी क्रिस्टल कंपनी के सभी गार्ड सेवाएं दे रहे हैं. मंदिर प्रबंधन ने नई कंपनी को वर्क आर्डर सौंपने की तैयारी कर ली है.

14 से 18 जनवरी तक महाकाल उत्सव– इसी बीच सुरक्षाकर्मियों के बीच यह बातचीत भी चल रही है कि 14 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में वृहद स्तर पर महाकाल उत्सव होने जा रहा है जिसकी तैयारियां भी मंदिर प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसमें वीर भारत न्यास, संस्कृति मंत्रालय और जिला प्रशासन के अधिकारी व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसे में पुरानी कंपनी की जगह नई कंपनी को जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया महाकाल उत्सव के चलते टल भी सकती है.

1300 को दी ट्रेनिंग, 400 पुराने–इधर, नई सुरक्षा कंपनी कोर ग्रुप ने अब तक लगभग 1300 से अधिक नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे दी है, लगभग 1000 की संख्या में सुरक्षाकर्मी की आवश्यकता है, ऐसे में 400 सुरक्षा कर्मचारी पुरानी क्रिस्टल कंपनी से भी लिए गए हैं और उन्हें भी नई कंपनी से जोड़ लिया गया है. पुरानी सुरक्षा कंपनी के जो पात्र व निर्विवाद कर्मचारी हैं जिनका रिकॉर्ड खराब नहीं रहा है उन्होंने कभी विवाद नहीं किए हैं, ऐसे सुरक्षा गार्डस को भी नई कंपनी मौका देगी.

फोर्स से सेवानिवृत को नौकरी

महाकाल मंदिर में सुरक्षा जिम्मेदारी संभालने वाली कोर ग्रुप कंपनी ने कुछ नवाचार भी किए है जिसमें कर्मचारियों नियुक्तियों से लेकर वेतन पर बड़ा निर्णय लिया है, अगले महीने से कर्मचारियों को बड़ी हुई सैलरी दी जाएगी. साथ ही आर्मी से रिटायर्ड कर्मचारियों को भी नौकरी दी जा रही है, जिन्हें गनमैन बनाया जाएगा. सुरक्षा के मद्देनजर हाईटेक व्यवस्था की जा रही है, कई सारे आधुनिक सुरक्षा यंत्र भी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे, कर्मचारियों की फिटनेस, उम्र स्वास्थ्य व क्राइम रिकॉर्ड का आकलन भी किया जा रहा है, जो पुराना कर्मचारी या नया आवेदक क्राइटेरिया में आएंगे, उन्ही को रखा जाएगा.

पश्चिम रेलवे - रतलाम मण्डल

ई-निविदा सूचना

संख्या - W/623/5/1/NIT दिनांक 09.01.2026

मंडल रेल प्रबंधक/मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए 'खुली निविदा' ई-निविदा के माध्यम से वेबसाईट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है -

क्रम सं.	ई-टेण्डरिंग संख्या व कार्य का नाम	अनुमानित लागत	बयाना राशी
1	RTM-2025-26-178 Ratlam Division - Execution (Composite -Civil+Electrical) of various works as under : - (1) Ujjain - Provision of one 12 meters wide FOB with cover with ramp with lift b/w PF01 & PF08 located at the centre of Platforms (Simhastha 2028). (2) Pawasa station - Providing 06 meter wide foot over bridge with 03 ramp landings (simahashtha 2028)	30,10,39,156.80	16,55,200.00
2	RTM-2025-26-171 Laxmibai Nagar- Providing 18 no. type II quarters in lieu of abondend Qtrs No. 16,22 (Composite -Civil+Electrical)	3,81,52,711.44	3,40,800.00

अनुमानित मात्रा सभी के लिए : As per Tender Schedule. **कार्य समापन अवधि : Sr. No. 1 & 2** - 12 Months; **Similar type of work: Sr. No.1** - As per Special Technical Criteria enclosed in Tender Schedule **Sr. No.2** - Construction of any Building Work **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि : Sr. No.1 & 2:** 09.01.2026 **निविदा खुलने की तिथि : Sr. No.1 & 2:** 02.02.2026. विस्तृत निविदा सूचना, अर्हता शर्ते एवं अन्य शर्ते वेबसाइट **www.ireps.gov.in.** पर उपलब्ध है।

Apex/5/1/398 **मण्डल रेल प्रबंधक (कार्यलेखा) रतलाम पश्चिम रेलवे**

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

सिंहस्थ के लिए 20 हजार करोड़ का पैकेज मांगा

- दिल्ली में वित्त मंत्रियों के प्री-बजट मीटिंग, जगदीश देवड़ा हुए शामिल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 जनवरी. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ आयोजन के लिये 20 हजार करोड़ वित्तीय सहायता के रूप में विशेष पैकेज देने की मांग केंद्र सरकार से की है.

उन्होंने कहा कि सिंहस्थ पर्व पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु माँ क्षिप्रा में स्नान कर बाबा महाकाल के पवित्र दर्शन करते हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये राज्य शासन उज्जैन एवं निकटस्थ क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ यथा सड़क निर्माण, घाट निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, यात्रियों के ठहरने के स्थल तथा चिकित्सालय का निर्माण आदि सुविधाएं विकसित कर रही है. वर्तमान में 20 हजार करोड़ रूपये से अधिक के अधोसंरचनात्मक विकास संबंधी कार्य स्वीकृत किये गये हैं.

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री-बजट मीटिंग हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ के संबंध में अपनी बात रखते हुए विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया.

जीएसडीपी की गणना बदले, जिससे ज्यादा ऋण मिल

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि मप्र जैसे विशाल प्रदेश के लिये अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता रहती है. मप्र राज्य की सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है. 15वें वित्त आयोग की गणना के आधार पर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ रूपये है. भारत सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करने की सीमा की गणना के लिये प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15 लाख 44 हजार 141 करोड़ रूपये मान्य किया जा रहा है. उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने ऋण प्राप्त करने की सीमा की गणना प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ रूपये को मान्य करने का आग्रह किया.

homefirst We'll take you home

Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703,
Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8 (6) के परंतुक देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित।

आम जनता को, विशेष रूप से कॉलम (i) में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि कॉलम (i) में वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक हैं, जिनका भौतिक कब्जा होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा देय राशि और ब्याज की वसूली के लिए ले लिया गया है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है। चूंकि देय राशि का भुगतान करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी उक्त संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री द्वारा देय राशि की वसूली का प्रस्ताव करता है और इसे "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे वर्णित है। कॉलम (i) में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) से होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड को देय राशि की वसूली के लिए नीलामी "ऑनलाइन" आयोजित की जाएगी।

स. क्र.	ऋण लेने वाला/वाले और सह-ऋण लेने वाला/वाले का नाम	संपत्ति का पता	मांग की तिथि सूचना	मांग सूचना राशि	कब्जे की तिथि	बाजार मूल्य	ईएमडी राशि	नीलामी की तिथि और समय	ईएमडी और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय	नंबर अधिकृत अधिकारी
1.	अम्का लड़िया, कमलारानी अहिरवार, अर्जुन लड़िया	पंक्ति मकान-111 और 112, सर्वेक्षण संख्या 41/1, 42/1 अंकन 42/1/2 ग्राम 03-11-2025 10,45,515 कालीबिल्लोद तहसील देपालपुर जिला इंदौर मध्य प्रदेश, पीथमपुर, मध्य प्रदेश- 454775 पर स्थित। सीमाएँ: पूर्व में प्लॉट संख्या 82 और 83, पश्चिम में सड़क, उत्तर में प्लॉट संख्या 113, दक्षिण में प्लॉट संख्या 110।	03-11-2025	10,45,515	06-01-2026	9,04,000	90,400	11-02-2026 (11am-2pm)	09-02-2026 (upto 5pm)	9340221007
2.	सागर शर्मा निर्मला शर्मा	पंक्तिबद्ध मकान - प्लॉट संख्या 163, द ग्रैंड मराठा, सर्वेक्षण संख्या 15/1, 15/2, ग्राम तलावली चंदा, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010। सीमाएँ: पूर्व में कॉलोनी की सड़क, पश्चिम में प्लॉट संख्या 218, उत्तर में प्लॉट संख्या 162, दक्षिण में प्लॉट संख्या 164।	03-11-2025	32,94,725	06-01-2026	28,02,000	2,80,200	11-02-2026 (11am-2pm)	09-02-2026 (upto 5pm)	9617655328
3.	अरविंद कुमार शिखा श्रीवास	प्लॉट संख्या 67, गणेश विहार, सर्वे संख्या 32/1/1/2, पी.एच.एन- 59/118, वार्ड संख्या 6, गणेश विहार, ग्राम-सागोर, तहसील- पीथमपुर, जिला-धार, पीथमपुर, मध्य प्रदेश, 454775 का दक्षिणी भाग, पूर्व में सड़क का शेष सर्वे संख्या, पश्चिम में अन्य भूमि, उत्तर में उसी प्लॉट संख्या 67 का शेष भाग और दक्षिण में प्लॉट संख्या 66 से घिरा हुआ है।	03-06-2025	7,48,138	24-12-2025	6,50,000	65,000	11-02-2026 (11am-2pm)	09-02-2026 (upto 5pm)	9340221007

ई-नीलामी सेवा प्रदाता	ई-नीलामी वेबसाइट/विवरण और अन्य नियम एवं शर्तें	खाता संख्याः ईएमडी/अन्य राशि जमा करने के लिए	शाखा आईएफएससी कोड	उत्तराधिकारी का नाम
कंपनी का नामः ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) हेल्पलाइन नंबरः 079-35022160/149/182 संपर्क व्यक्तिः राम शर्मा - 8000023297 ईमेल आईडीः ramprasad@auctiontiger.net और support@auctiontiger.net	http://www.homefirstindia.com https://homefirst.auctiontiger.net	912020036268117- Home First Finance Company India Limited - Axis Bank Ltd., MIDC, Andheri East.	UTIB0000395	अधिकृत अधिकारी, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

बोली वृद्धि राशि - रू. 10,000/-। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेब पोर्टल (https://hoZefirst.auctiontiger.net) पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र और ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें युक्त ई-नीलामी निविदा दस्तावेज पोर्टल साइट पर उपलब्ध हैं। अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, संपत्ति पर भार, नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देयताओं के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन होम फर्स्ट की ओर से कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति होम फर्स्ट को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जा रही है। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय-पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। यह बिक्री प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। किसी भी विसंगति की स्थिति में, सूचना का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान, अद्यतन ब्याज और अन्य संबंधित खर्चों सहित, ई-नीलामी की तिथि से पहले कर दें। ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि बचती है, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 11-01-2026 स्थानः मध्य प्रदेश **अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड**

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60